महत्वपूर्ण एवं खास

रेलवे स्टेशन से मेडिकल कॉलेज तक ऑटो किराया दर निर्धारित

30 रुपये प्रति सीट एवं 120 रुपये रिजर्व किराया

रायगढ़। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशानुसार संत बाबा गुरू घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ में उपचार के लिए आने वाले मरीज एवं उनके परिजनों के आवागमन हेतु ऑटो किराया दर निर्धारण के संबंध में ऑटो चालक संघ के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संघ के अध्यक्ष संजय बाजपेयी, चुनाव अधिकारी नरेन्द्र ठाकुर एवं सदस्य उपस्थित हुए। बैठक के दौरान रेलवे स्टेशन से मेडिकल कॉलेज हेतु 30 रूपये प्रति सीट एवं 120 रूपये रिजर्व का किराया निर्धारित किया गया। इस संबंध में किसी प्रकार की कोई शिकायत हो तो जिला परिवहन कार्यालय रायगढ़ को सूचित कर सकते हैं।

तैयारी एवं व्यवस्थित संचालन हेतु डिप्टी कलेक्टर महेश शर्मा नोडल अधिकारी नियुक्त

पूर्व में जारी आदेश में हुआ आंशिक संशोधन

रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल द्वारा त्रिस्तरीय स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025 के तैयारी एवं व्यवस्थित संचालन हेतु पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर महेश शर्मा को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिनका मोबा.नं. 81098-24393 है। नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर शर्मा को रूट चार्ट, जोन का निर्धारण, सेक्टर अधिकारियों, सेक्टर मजिस्ट्रेट, माईक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति, वाहन प्रभारी की नियुक्ति, मतदान दलों के परिवहन, प्रेक्षकों तथा सेक्टर अधिकारियों इत्यादि अधिग्रहित वाहनों के लिए पीओएल की व्यवस्था करना, वाहन व्यवस्था करना, लॉगबुक तैयार एवं संधारण करना, रूट चार्ट का अनुमोदन एवं पीएलओ पंजी संधारण के संबंध में दायित्व सौंपा गया है।

मुख्य अभियंता हरिओम शर्मा ने सड़क निर्माण कार्यों के संबंध में ली समीक्षा बैठक

अच्छी एवं गुणवत्ता पूर्ण सड़क बनाने की दिशा में काम करने के दिए निर्देश

रायगढ़। छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण रायपुर के मुख्य अभियंता एवं राज्य गुणवत्ता समन्वयक हरिओम शर्मा ने रायगढ़ एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में सड़क निर्माण कार्यों के संबंध में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा अनुसार ग्रामीण इलाकों में आवागमन को सुगम बनाने के लिए अच्छी एवं गुणवत्तापूर्ण सड़कों को बनाना ही प्रमुख उद्देश्य है और इस पर सभी को काम करना होगा। मुख्य अभियंता शर्मा ने जिले के विभागीय अभियंताओं एवं ठेकेदारों को बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत नवीन स्वीकृत निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्वक निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने हेतु सख्त निर्देश दिए। वही सड़क बनाने वाले सभी ठेकेदारों को गुणवत्ता से खिलवाड़ करने पर नियमानुसार कार्रवाई एवं आगामी निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लेने देने की चेतावनी दी। मुख्य अभियंता शर्मा ने भ्रमण के दौरान रायगढ़ जिले के पुसौर एवं सारंगढ़ जिले के सड़कों का निरीक्षण करते हुए सड़कों के संधारण की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने चल रहे सड़क निर्माण में रायगढ़ से पुसौर लंबाई 11.40 कि.मी., टी.03 गोड़म से बंधापाली लंबाई 12.03 कि.मी., बंजारी से धौराभांठा लंबाई 3.19 कि.मी.का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि निर्माण/नवीनीकरण पश्चात् सड़कों के संधारण अनुबंधानुसार सुनिश्चित किया जाए। सड़कों का रख-रखाव एवं मेन्टेनेस नहीं करने की स्थिति में उक्त अवधि का भुगतान शून्य करते हुए संधारण अवधि अतिरिक्त 6 माह बढ़ाने के निर्देश भी दिए।

युवक से 68 लाख से अधिक की ठगी, जुर्म दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। पोकलेन मशीन किराए में लेकर रकम का भुगतान ना कर मशीन को लावारिस हालत में छोडक़र भागने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी एम.गणेश रेड्डी 38 वर्ष हाउसिंग बोर्ड कालोनी दोंदेखुर्द का रहने वाला है। प्रार्थी ने सिविल लाइन थाना में शिकायत किया कि आरोपी आशीष शेरासिया ने प्रार्थी के कंपनी से पोकलने मशीन को किराए में लेकर 68 लाख 2294 रुपए का भुगतान नहीं किया। वहीं आरोपी मशीन को लावारिस हालत में छोडक़र भाग गया। जब इस बात की जानकारी प्रार्थी को हुई तो उसने इसकी शिकायत सिविल लाइन थाना में की। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

सुशासन को सुदृढ़ करने के लिए सीईजीआईएस और टीआरआई के साथ हुआ एमओयू

- मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ऐतिहासिक समझौते पर हुए हस्ताक्षर : प्रशासनिक पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और नीति-निर्माण में होगा क्रांतिकारी सुधार
- आम जनता के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
- भ्रष्टाचार पर कसेगा शिकंजा, आम जनता को सरकारी योजनाओं का सुगमता से मिलेगा लाभ

रायपुर

प्रदेश में शासन की पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में सुशासन एवं अभिसरण विभाग ने सेंटर फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स (CEGIS) और ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया (TRI) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी से प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि, योजनाओं की प्रभावी निगरानी एवं क्रियान्वयन को मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि संसाधनों का सही और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से हमने प्रदेश में 'सुशासन एवं अभिसरण विभाग' की स्थापना की है। यह 58वां विभाग न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा बल्कि सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में भी मदद करेगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज हुए एमओयू से प्रशासनिक पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और नीति-निर्माण में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे।

ई-गवर्नेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि ई-गवर्नेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, शिकायत निवारण तंत्र और योजनाओं की रियल-टाइम मॉनिटरिंग जैसी सुविधाओं को इस पहल से नया आयाम मिलेगा। इस एमओयू से न केवल सरकारी कर्मचारियों और युवाओं के कौशल विकास और क्षमता उन्नयन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि शासन की योजनाओं को अधिक प्रभावी और सुगम बनाया जाएगा।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि भ्रष्टाचार पर सख्त लगाम लगेगी और आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त होगा।

सीईजीआईएस और टीआरआई के सहयोग से नीति निर्माण को मिलेगी नई दिशा

सीईजीआईएस के फाउंडर कार्तिक मुरलीधरन ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर राज्य की नीतियों और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तकनीकी, विश्लेषणात्मक और रणनीतिक सहयोग देंगे। साथ ही, रणनीतिक बजटिंग और वित्तीय प्रबंधन में शासन को सहयोग करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक स्तर की विशेषज्ञता और डेटा-ड्रिवन नीति निर्माण से छत्तीसगढ़ को व्यापक लाभ मिलेगा।

टीआरआई के सहयोग से ग्रामीण विकास को मिलेगा नया आयाम

ग्रामीण क्षेत्रों के सतत विकास के लिए TRI के साथ हुए समझौते के तहत, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और जल संरक्षण को नई दिशा मिलेगी। TRI के एसोसिएट डायरेक्टर श्रीश कल्याणी ने बताया कि हम छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर स्थानीय शासन को सशक्त बनाने, सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने और ग्रामीण विकास को तेज गति देने में सहयोग करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि-आधारित आजीविका और जलवायु अनुकूलन जैसे क्षेत्रों में व्यापक सुधार लाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री साय ने इस महत्वपूर्ण समझौते के लिए सुशासन एवं अभिसरण विभाग, सीईजीआईएस और टीआरआई के प्रतिनिधियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि इस साझेदारी से छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सुधारों की नई राह खुलेगी और राज्य की जनता को योजनाओं का त्वरित और प्रभावी लाभ मिलेगा।

इस ऐतिहासिक समझौते के अवसर पर वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने कहा कि इस एमओयू की छत्तीसगढ़ में सुशासन की परिकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजू एस, तथा सीईजीआईएस और टीआरआई के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

ढाबे में अवैध शराब बिक्री सूचना पर पूंजीपथरा पुलिस का छापा, 30 पाव अंग्रेजी शराब के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार

रायगढ़

थाना पूंजीपथरा पुलिस ने आज ग्राम तराईमाल स्थित 'अपना ढाबा' में छापा मारकर अवैध रूप से बेची जा रही अंग्रेजी शराब बरामद की। इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 30 पाव गोवा स्पेशल व्हिस्की जब्त की, जिसकी कुल मात्रा 5 लीटर 400 मिली और कीमत 3,900 रुपये आंकी गई है।

थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश मिश्रा को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आशुतोष राणा नामक व्यक्ति अपने ढाबे में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब बिक्री के लिए रखा है। इस सूचना के आधार पर सहायक उप निरीक्षक विजय एक्का के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापा मारा। मौके पर मौजूद आरोपी से पूछताछ करने पर उसने शराब रखने की बात स्वीकार की। आरोपी की पहचान आशुतोष राणा (28 वर्ष), पिता अनिल कुमार सिंह, निवासी पतारापाली ट्रांसपोर्ट नगर, थाना कोतरारोड, हाल मुकाम अपना ढाबा तराईमाल, थाना पूंजीपथरा, जिला रायगढ़ के रूप में हुई।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना पूंजीपथरा में आबकारी एक्ट की धारा 34(2), 59(क) के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस रेड कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक विजय एक्का, प्रधान आरक्षक लोमेश राजपूत, विनीत तिर्की, सतीश सिंह और आरक्षक ओम प्रकाश तिवारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2025

प्रथम चरण मतदान समाप्ति के पश्चात 88.36 रहा मतदान प्रतिशत 1 लाख 84 हजार 98 मतदाताओं ने किया मताधिकार का प्रयोग

- दूसरे चरण में 20 और तीसरे चरण के लिए 23 फरवरी को होगा मतदान

रायगढ़

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2025 अंतर्गत विकासखंड रायगढ़ एवं पुसौर में प्रथम चरण का निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण सम्पन्न हुआ। मतदान समाप्ति के पश्चात कुल 88.36 मतदान प्रतिशत रहा। कुल 1 लाख 84 हजार 98 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिसमें पुरूष-92 हजार 94 तथा महिला-92 हजार 4 मतदाता शामिल थे।

जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखण्ड रायगढ़ में 88 हजार 251 मतदाताओं ने मतदान किया, जिसमें पुरुष मतदाता-43 हजार 925 एवं महिला मतदाता- 44 हजार 326 शामिल थे। जिसका मतदान प्रतिशत 87.13 रहा। इसी तरह विकासखण्ड पुसौर में 95 हजार 847 मतदाताओं ने मतदान किया, जिसमें पुरुष मतदाता-48 हजार 169 एवं महिला मतदाता-47 हजार 678 शामिल थे। जिसका मतदान प्रतिशत 89.53 रहा।

दूसरे चरण में 20 और तीसरे चरण के लिए 23 फरवरी को होगा मतदान

रायगढ़ जिले में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन तीन चरणों में संपन्न होने जा रहा है, जिसके तहत पहले चरण में 17 फरवरी को रायगढ़ और पुसौर में मतदान संपन्न हुआ। वहीं द्वितीय चरण में 20 फरवरी को खरसिया और धरमजयगढ़ में तथा तृतीय और अंतिम चरण में 23 फरवरी को लैलूंगा, तमनार और घरघोड़ा ब्लॉक में मतदान होगा।

छत्तीसगढ़ में नया दुकान एवं स्थापना अधिनियम लागू

- छोटे दुकानदारों को मिलेगी राहत
- श्रम विभाग ने जारी किया आदेश
- दुकानों और स्थापनाओं का पंजीयन, अब श्रम विभाग करेगा

रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने छोटे दुकानदारों को राहत और कर्मचारियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 और नियम 2021 को पूरे राज्य में लागू कर दिया है। इसके साथ ही पुराना अधिनियम 1958 और नियम 1959 को निरस्त कर दिया गया है। श्रम विभाग के अनुसार, नया अधिनियम पूरे राज्य में लागू होगा, जबकि पुराना अधिनियम केवल नगरीय निकाय क्षेत्रों में प्रभावी था। इस बदलाव से छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी, क्योंकि नया कानून केवल 10 या अधिक कर्मचारियों वाली दुकानों और स्थापनाओं पर ही लागू होगा। पहले, बिना किसी कर्मचारी के भी सभी दुकानें अधिनियम के दायरे में आती थीं।

नए नियमों के तहत, दुकान और स्थापनाओं के पंजीयन शुल्क को कर्मचारियों की संख्या के आधार पर तय किया गया है। न्यूनतम शुल्क 1,000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये होगा। पहले यह शुल्क 100 रुपये से 250 रुपये तक था। श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि नए अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के भीतर सभी पात्र दुकानों और स्थापनाओं को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया श्रम विभाग के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पूरी की जा सकेगी।

कर्मचारी राज्य बीमा और भविष्य निधि में पहले से पंजीकृत दुकानें नए अधिनियम में स्वतः शामिल होंगी। पहले से पंजीकृत दुकानों को 6 महीने के भीतर श्रम पहचान संख्या प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। यदि 6 महीने बाद आवेदन किया जाता है, तो नियमानुसार शुल्क देना अनिवार्य होगा।

पुरानी व्यवस्था में दुकानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखना अनिवार्य था। अब दुकानें 24 घंटे और पूरे सप्ताह खुली रह सकती हैं, बशर्ते कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। नई व्यवस्था के तहत, कुछ सुरक्षा शर्तों के साथ महिला कर्मचारियों को रात में भी काम करने दिया जाएगा। सभी नियोजकों को अपने कर्मचारियों के रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप से मेंटेन करने होंगे। हर साल 15 फरवरी तक सभी दुकान एवं स्थापनाओं को अपने कर्मचारियों का वार्षिक विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। नए अधिनियम में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है, लेकिन अपराधों के कम्पाउंडिंग की सुविधा दी गई है, जिससे नियोजकों को कोर्ट की कार्रवाई से बचने का विकल्प मिलेगा। निरीक्षकों की जगह फैसिलिटेटर और मुख्य फैसिलिटेटर नियुक्त किए जाएंगे, जो व्यापारियों और नियोजकों को बेहतर मार्गदर्शन देंगे।

पहले दुकान और स्थापनाओं का पंजीयन कार्य नगरीय निकायों द्वारा किया जाता था। अब 13 फरवरी 2025 की अधिसूचना के अनुसार यह कार्य श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा। नए नियमों से छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी, पंजीयन प्रक्रिया सरल होगी और कर्मचारियों के अधिकारों का बेहतर संरक्षण किया जा सकेगा।

श्रद्धालुओं की बढ़ी मुसीबत, सारनाथ एक्सप्रेस 2 दिन के लिए रद्द

रायपुर। आरएनएस

प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए सारनाथ एक्सप्रेस में रिजर्वेशन कराने वाले श्रद्धालुओं के लिए बुरी खबर है। रेलवे प्रशासन की ओर से परिचालनिक कारणों का हवाला देते हुए दुर्ग से छपरा चलने वाली सारनाथ एक्सप्रेस को 19 और 21 फरवरी को रद्द कर दिया है।

रेलवे सूत्रों ने बताया कि परिचलनिक कारणों से गाड़ी संया 15160 और 15159 दुर्ग-छपरा सारनाथ एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। यह गाड़ी दिनांक 19 फरवरी को दुगर् से छपरा के लिए एवं 21 फरवरी को छपरा से दुर्ग के मध्य रद्द रहेगी। ज्ञात हो कि यह ट्रेन छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं के लिए एकमात्र ट्रेन थी जो प्रयागराज होकर जाती थी। इस ट्रेन में आम दिनों में भी श्राद्ध कर्म और मृतक संस्कार पूरा करने प्रतिदिन हजारों की संख्या में प्रदेशवासी प्रयागराज पहुंचते थे। वर्तमान में महाकुंभ पर्व के चलते यह ट्रेन भी काफी पैक चल रही थी। श्रद्धालु महीनों पहले से इस ट्रेन में अपना बर्थ आरक्षित करा चुके थे।

अचानक यह ट्रेन रद्द हो जाने से अब श्रद्धालुओं के लिए केवल निजी वाहनों का सहारा रह गया है। इसमें भी यह दिक्कत है कि रींवा-प्रयागराज मार्ग में कई किलोमीटर तक वाहनों का जाम लगा हुआ है। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए अब प्रयागराज पहुंचना काफी मुश्किल हो जाएगा। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के कोने-कोने से वर्तमान में श्रद्धालु प्रयागराज जा रहे हैं। ऐसे में रेलवे द्वारा अचानक सारनाथ एक्सप्रेस को दो दिनों के लिए रद्द कर दिए जाने से श्रद्धालुओं के समक्ष विकट समस्या उत्पन्न हो गई है।

जनभागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ राज्य देश में अव्वल: जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप

- जल विजन 2047 पर राज्यों के जल मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन
- छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने राज्य में जल संरक्षण के प्रयासों पर दी जानकारी

रायपुर

भारत सरकार के 'जल विजन 2047' के तहत राज्यों के जल मंत्रियों का द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन उदयपुर में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों ने जल संरक्षण, जल प्रबंधन और भविष्य की जल नीति को लेकर विचार-विमर्श किया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता ओड़िशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने की। सम्मेलन में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, केन्द्रीय राज्यमंत्री चौधरी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरूण साव सहित अन्य राज्यों के जल संसाधन मंत्रीगण मौजूद थे।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने छत्तीसगढ़ राज्य में जल संरक्षण के प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने राज्य में जल प्रबंधन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को साझा करते हुए कहा कि जनभागीदारी जल संचय में छत्तीसगढ़ राज्य देश में अव्वल स्थान पर है। राज्य में जल संरक्षण और संवर्धन के लिए दो लाख से अधिक संरचनाएं निर्मित की गई हैं। हम जिस राज्य छत्तीसगढ़ से हैं वह राज्य प्रभु श्रीराम का ननिहाल है। वनों से अच्छांदित दण्डकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ में हैं। प्रभु श्रीराम ने अपने वनवास का सर्वाधिक 10 साल छत्तीसगढ़ में व्यतीत किए हैं।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न राज्य है, यहां 44 प्रतिशत से अधिक भू-भाग में वन हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तरी और दक्षिणी भाग पठारी और वनों से अच्छांदित है। राज्य का मध्य हिस्सा मैदानी है। इस कारण राज्य में जल उपलब्धता असमान है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए जल संरक्षण और प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि छत्तीसगढ़ जल नीति 2022 के तहत जल संसाधनों का वैज्ञानिक और सतत विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा, भूजल अधिनियम 2022 लागू किया गया है और भूजल नियामक प्राधिकरण की स्थापना की प्रक्रिया जारी है। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जल संकट से निपटने के लिए सरकार सूक्ष्म सिंचाई, पाइप सिंचाई नेटवर्क, जलग्रहण क्षेत्र विकास और जल-जगार अभियान को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में गंगरेल डेम रविशंकर जलाशय से रायपुर और धमतरी की जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है।

मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि 'जल विजन 2047' के तहत राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए हैं। सिंचाई क्षमता 37.82 प्रतिशत से बढ़ाकर 56 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। जल भंडारण 7900 मिलियन घन मीटर से बढ़ाकर 16,000 मिलियन घन मीटर तक ले जाना तथा औद्योगिक जल उपयोग 2208 मिलियन घन मीटर से 6000 मिलियन घन मीटर तक बढ़ाना है। पेयजल आपूर्ति 584 मिलियन घन मीटर से 2094 मिलियन घन मीटर तथा भूजल निकासी 5757 मिलियन घन मीटर से 8000 मिलियन घन मीटर तक बढ़ाने का लक्ष्य है।

मंत्री कश्यप ने कहा कि जल संसाधनों का सतत उपयोग आवश्यक है। उन्होंने राजस्थान के वाटर बैंक मॉडल का उदाहरण देते हुए कहा कि जल संरक्षण को लेकर सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने अंत में सभी राज्यों से अपील की कि वे जल संसाधनों का सतत और वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में जल संकट को टाला जा सके।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480